


राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या- 12/2017.....जिला.....जयपुर.....

मैसर्स लारेश्वर पॉलीमर्स लि0, जयपुर बनाम 1. अपीलार्थी प्राधिकारी तृतीय, जयपुर 2. सहायक आयुक्त, वृत्त ई, जयपुर।

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
11.04.2017	<p style="text-align: center;">एकलपीठ श्री मदन लाल -सदस्य</p> <p>पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी के विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि श्री दीनदयाल शर्मा द्वारा उपस्थित होकर प्रकरण को विद्वान करने का निवेदन किया गया। विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक श्री डी.पी.ओझा उपस्थित।</p> <p>अपीलार्थी के विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने वर्तमान में राजस्थान सरकार द्वारा प्रसारित न्यू एमेनेस्टी स्कीम के तहत लाभ प्राप्त करने के लिये उपस्थित होकर इस अपील को विद्वान करने का निवेदन किया है, जिस पर उप-राजकीय अभिभाषक श्री डी.पी.ओझा को कोई ऐतराज नहीं है।</p> <p>अतः अपीलार्थी के अधिकृत प्रतिनिधि के निवेदन को स्वीकार किया जाकर अपील संख्या 12/2017/जयपुर जरिये विद्वान खारिज की जाती है।</p> <p>आदेश सुनाया गया</p> <p style="text-align: center;"> सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर</p>	